I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

# FIRST INFORMATION REPORT
## (Under Section 154 Cr.P.C.)
## प्रथम सूचना रिपोर्ट
### (धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB GURGAON **Year (वर्ष):** 2022

   **FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0043 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 28/11/2022 15:46 hrs

2.

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|---|---|---|
| 1 | IPC 1860 | 120-B |
| 2 | IPC 1860 | 409 |
| 3 | IPC 1860 | 418 |
| 4 | IPC 1860 | 420 |
| 5 | IPC 1860 | 467 |
| 6 | IPC 1860 | 468 |
| 7 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(2) |
| 8 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)(c) |
| 9 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)d |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

   **Time Period (समय अवधि):** **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/11/2022 **Time (समय):** 10:15 hrs

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 013 **Date and Time (दिनांक और समय):** 28/11/2022 14:47 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 15 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

      **(b) Address (पता):** सैक्टर 23/23ए गुरुग्राम,

      **(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

      **District (State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

   (a) **Name (नाम):** PANKHURI KUMAR

   (b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 15/08/1985 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

   (e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

   **Date of Issue (जारी करने की दिनांक):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

**(g)** **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

| S. No. (क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान संख्या) |
|---|---|---|

**(h)** **Occupation (व्यवसाय):**

**(i)** **Address (पता):**

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | Present Address | Ambala, AMBALA CITY, AMBALA, HARYANA, INDIA |
| 2 | Permanent Address | Ambala, AMBALA CITY, AMBALA, HARYANA, INDIA |

**(j)** **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9729990102

**7.** **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

| S. No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address(वर्तमान पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री मुकेश कुमार सोलंकी | | | 1. सम्पदा अधिकारी ई0ओ0-1 सै0 14,GURUGRAM,HARYANA,INDIA |
| 2 | श्री सज्जन सिह | | | 1. अनुभाग अधिकारी गुरुग्राम,GURUGRAM,HARYANA,INDIA |
| 3 | श्री सुभाष चन्द हुड्डा विभाग | | | 1. हुड्डा विभाग सहायक अधीक्षक ggm,GURUGRAM,HARYANA,INDIA |
| 4 | श्री संजय कुमार डुड्डा विभाग | | | 1. हुड्डा विभाग रिकार्ड कीपर ggm,GURUGRAM,HARYANA,INDIA |
| 5 | श्री वी0के0 गोयल | | Father's Name: श्री आर0सी0 गोयल | 1. सी0बी0 एच नारायणा नई दिल्ली,NEW DELHI,DELHI,INDIA |
| 6 | श्री रिषिराज निदेशक मैसर्स | | | 1. निदेशक मैसर्स आर आर फाउण्डेशन,इन्जिनियरिग प्राईवेट लिमिटेड,GURUGRAM,HARYANA,INDIA |

**8.** **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

**9.** **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

| S. No. (क्र.सं.) | Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**10.** **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

**11.** **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

| S. No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.) |
|---|---|

**12.** **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, राज्य चैकसी ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल,गुरूग्राम । विषयः- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर । निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 07 दिनांक 10.05.2019/गुरूग्राम अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चैकसी विभाग के कार्यालय पत्र क्रमांक 58/52/2018-1 चौ(1) दिनांक 03.05.2019, व महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 7767/I-2/रा0चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 10.05.2019 के अनुसार आसूचना रिपोर्ट पर श्री रिषिराज निदेशक मैसर्स आर0आर0 फाउण्डेशन इन्जिनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड व सम्पदा अधिकारी हुडा गुरूग्राम के विरूद् दर्ज हुई थी।

**I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)**

जाँच में आरोप थे कि प्रतिवादियो ने वर्ष 1997 में S.C.O (Corner) की तीन मंजिला तथा बेसमैन्ट सहित S.C.O न0 30 सैक्टर 23/23ए मार्किट की DSC गुरूग्राम में निलामी की थी। जिसमें रिर्जव कीमत 28,65,000/-रूपये थी जिसकी नीलामी 39,52,000/रूपये में मैंसर्स आर0आर0 फाउण्डेशन इंजीनियर प्राईवेट लि0, 24 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली ने बोली पर दिनांक 27.11.1997 को छुडवा ली। इसके सम्बंध में पत्र क्रमांक 288 दिनांक 18.12.1997 के अनुसार अलाँटमैन्ट लैटर हुडडा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया। अलाँटमैन्ट पत्र डाक विभाग से इस टिप्पणी सहित वापिस प्राप्त हुआ कि इस पते पर ऐसी कोई कम्पनी नही है। दूसरा कोई पता भी कार्यालय के रिकार्ड में नही था। लिहाजा 15 प्रतिशत रकम जमा ना होने के कारण पत्र क्रमांक 1958 दिनांक 10.04.1998 के अनुसार अलाँटमैन्ट रदद कर दी गई। जिसकी अपील व रिविजन दिनांक 16.04.1999 व 28.02.2000 को क्रमश खारिज कर दी गई। इसी प्रकार कन्जुमर फोरम से शिकायत 01.08.2008 व 30.11.2011 को क्रमश खारिज हो गई। मुख्य प्रशासक पंचकुला ने पत्र क्रमांक 122448 दिनांक 15.06.2018 को तथा तदोपरान्त एक ई-मेल दिनांक 27.07.18 को सम्पदा अधिकारी, गुरूग्राम को भेजकर हिदायत दी कि 03 दिन के अन्दर-अन्दर इस तथ्य की जांच की जाये कि आवंटन पत्र उसको प्राप्त नही हुये थे और यदि नही तो आवंटन पत्र जारी करने बारे कार्यवाही की जाये। मुख्य प्रशासक पंचकूला के पत्र की अनुपालना में स्टेट आँफिसर गुरूग्राम द्वारा पत्र क्रमांक 739 दिनांक 22.06.2018 के अनुसार पुनः अलाँटमैन्ट लैटर जारी कर दिया गया। हुडडा विभाग कहता है कि अलाटमैन्ट पत्र व डिमाण्ड पत्र मैसर्स आर0आर0 फाउण्डेशन इन्जीनियर प्राईवेट लि0 24 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली के पते पर नही पहुचे, मगर यह आश्चर्य की बात है कि कैंसिलेशन का पत्र उसी पते पर पहुच गया। कैंसिलेशन के पश्चात कई बार प्रार्थना की गई किन्तु कोई ध्यान ना दिया गया। फिर प्रशासक के आदेशनुसार 03 दिन के अन्दर-2 मामले का निपटारा करके सुचित करना था जो कि दिनांक 22.06.2018 को अलाँटमैन्ट लेटर बना दिया गया। हुडा के कर्मचारियो ने हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले वादी के साथ समझौता कर लिया। जिससे हाईकोर्ट में मामला निरस्त हो गया। इससे यह प्रतीत होता है कि हुडा विभाग के कर्मचारी व अन्य आरोपी सरकार को वितीय हानि पहुँचाना चाहते थे। (यह स्पष्ट तौर पर प्रतीत होता है कि दोबारा अलाँटमैंट गलत की गई जबकि पहले वादी की तमाम प्रार्थनाओ के बाद भी ऐसा नही किया गया था यदि SCO न0 8,13 व 30 की अलाँटमैंट को कैंसिल करना न्यायसंगत था तो बाद में कानून की अवेहलना क्यो की गई ।

आरोपो की पडताल के दौरान पाया गया कि मैसर्स आर0आर0 फाउन्डेशन इन्जिनियरस प्रा0लि0 (रजि0 नं0 45200 डी0एल0 1996 पी0टी0सी0 081683) ने हुडा विभाग, सेक्टर 14, गुरूग्राम से एस0सी0ओ0 नं0 8 व 30 सैक्टर 23/23ए गुरूग्राम की खुली बोली में निलामी करने व आर0आर0 कन्सट्रैक्सन 23/23ए की खुली प्रा0लि0 ने एस0सी0ओ0 नं0 13, सैक्टर बोली में निलामी करने के लिए आवेदन किये थे। इसके बाद आर0आर0 फाउन्डेशन की बोली सबसे अधिक होने के कारण एस0सी0ओ0 नं0 8 व 30 उसे दिनांक 18.12.1997 को आवन्टित कर दिया गया तथा आर0आर0 कन्सट्रैक्सन की बोली सबसे अधिक होने के कारण उसे एस0सी0ओ0 न0 13 सैक्टर 23/23ए गुरूग्राम अलाट किया गया। उक्त फर्म से कुल कीमत की 10 प्रतिशत राशी मौके पर जमा करा ली। उसके बाद 15 प्रतिशत राशी हुडडा विभाग द्वारा अलाटमेन्ट पत्र जारी करने के 1 महीने के दौरान जमा करवानी थी। हुडा विभाग गुरूग्राम के द्वारा मैसर्स आर0आर0 फाउन्डेशन इन्जिनियर व आर0आर0 कन्सट्रेक्षन को 15 प्रतिशत राशी जमा करवाने के लिये रजिस्ट्रड डाक द्वारा पत्र क्रमांक 284 दिनांक 18.12.1997 व पत्र क्रमांक 285 दिनांक 18.12.1997 के अनुसार भेज दिया गया। परन्तु डाक विभाग की इस टिप्पणी के साथ वह पत्र वापिस हुडा कार्यालय में आ गया कि इस नाम की यहा कोई कम्पनी नही है। उपरोक्त कम्पनीयों का कार्यालय वर्तमान में भी वही है। ये पत्र कम्पनी के द्वारा ही पोस्टमैन को लिखवाया गया है कि इस नाम की कोई कम्पनी यहा पर नही है। उपरोक्त दोनो फर्म के द्वारा दिये गये समय के दौरान 15 प्रतिशत राशी जमा नही कराई गई। जिसके बाद सम्पदा अधिकारी ई0ओ0-1 सैक्टर-14 के द्वारा एस0सी.ओ. न0 8, 30 व 13 सैक्टर 23/23ए गुरूग्राम के आवंटन आदेश दिनांक 10.04.1998 को रदद कर दिये गये तथा 10 प्रतिशत जमा राशी जब्त कर ली गई। उपरोक्त आदेश/नोटिस मैसर्स आर0आर0 फाउन्डेशन कम्पनी व आर0आर0 कन्सटैक्षन के पते पर भेजा गया जो उन्हे प्राप्त हो गया उसके बाद दिनांक 15.04.1998 को मैसर्स आर0आर0 फाउडेशन कम्पनी व आर0आर0 कन्सट्रेक्षन के मालिको ने हुडा आफिस सैक्टर-14 गुरूग्राम आकर अपना प्रार्थना पत्र दिया। सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम प्रशासक के पास तथा उसके बाद मुख्य प्रषासक पंचकुला के पास अपील डाली लेकिन तीनो जगह उनकी अपील रदद हो गई। आयुक्त व सचिव, नगर व ग्रामीण योजना विभाग द्वारा भी उनकी भी रिविजन याचिका दिनांक 28.02.2000 को खारीज कर दी गई। उसके बाद दिनांक 08.10.2004 को कन्जुमर कोर्ट गुरूग्राम में याचिका लगाई लेकिन वो भी दिनांक 01.08.2008 को रदद हो गई। राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग में भी उनकी अपील दिनांक 30.11.2011 को खारीज हो गई। उसके बाद ये दोनो चुप बैठ गये। दिनांक 21.04.2010 को एस0सी0ओ0 नम्बर 08 व 30 की जी0पी0ए0 अटेली जिला महेन्दग्रढ में आर0आर0 फाउन्डेशन के डायरेक्टर रिषिराज ने श्री वी0के0 गोयल पुत्र आर0सी0 गोयल, निवासी सी0बी0एच0 11, नारायणा नई दिल्ली के नाम से पंजीकृत की हुई है। जबकि आर0आर0 फाउण्डेशन डायरेक्टर रिषिराज द्वारा एस0सी0ओ0 न0 8 व 30 की 15 प्रतिशत राशी जमा ना करवाने के कारण सम्पदा अधिकारी प्रथम गुरूग्राम द्वारा उक्त दोनो एस0सी0ओ0 की अलाटमैन्ट रदद/Cancell करने के कारण आर0आर0 फाउन्डेशन निदेशक रिषिराज उक्त दोनो SCO का मालिक ही नही था। रिषिराज ने फर्जी कागजात व गलत तरीके से श्री वी0के0 गोयल व अन्य आरोपियों से साज बाज होकर उसके नाम जी0पी0ए0 करा दी गई। इसके बाद एस0सी0ओ0 नम्बर 8 व 30 सैक्टर 23 गुरूग्राम के सम्बंध में जी0पी0ए0 धारक श्री वी0के0 गोयल ने उक्त दोनो एस0सी0ओ0 का आवंटन बहाल करवाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंव हरियाणा में सी0डब्लू0पी0 नं0 12629/2016 व सी0डब्लू0पी0 8565 Of 2018 दायर की गई। इस सिविल रीट पेटीशन में हुडा विभाग द्वारा जवाब फाईल किया गया। उपरोक्त मामले न्यायालय में विचाराधीन होने पर फर्म के जी0पी0ए0 होल्डर वी0के0 गोयल ने दिनांक 07.03.2018 को एक प्रतिवेदन सरकार को दिया। जो सामान्य प्रक्रिया के तहत मुख्य प्रशासक हुडा पंचकुला के कार्यालय में भेज दिया गया। मुख्य प्रशासक हुडा पंचकुला ने अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रशासक हुडा पंचकुला को मार्क कर दिया। इसके पश्चात श्री रामस्वरूप वर्मा तत्कालीन मुख्य प्रशासक कार्यालय मुख्य प्रशासक हुडा पंचकुला द्वारा नोटिंग पर "If the said is correct, the Admn./EO-1, HSVP, Gurugram may be requested to take necessary action regarding issuance of allotment letter accordingly under intimation to this within 3 days positively" आदेश/निर्देश दिये गये। जिनकी पालना करते हुये श्री भारत भूषण तनेजा अधीक्षक द्वारा प्रशासक हुडा गुरूग्राम व सम्पदा अधिकारी-1, गुरूग्राम को मुख्य प्रशासक हुडा पंचकुला के सम्मुख नोटिंग/पत्र पेश न करके पत्र क्रमांक 122448-49 दिनांक 15.06.2018 जारी किया। जिसमें आवशयक कार्यवाही करके तीन दिन में तथ्य तसदीक करके अपनी रिपोर्ट सहित वापिस कार्यालय में भेजने के निर्देश दिये। दिनांक 26.07.2018 को पुनः एक ई-मेल हुडा प्रशासक, गुरूग्राम को जारी की गई कि दो दिन में तथ्य तसदीक करके भेजा जाये। श्री रामस्वरूप वर्मा, भा0प्रा0से0, तत्कालीन प्रशासक हुडा द्वारा अपने उच्च अधिकारी मुख्य प्रशासक हुडा पंचकुला की अनुमति के बिना उपरोक्त नोटिंग में दिशा-निर्देश जारी कर दिये। श्री भारत भूषण तनेजा, अधीक्षक ने नोटिग में दिये गये निर्देशो की पालना में प्रशासक हुडा, सम्पदा अधिकारी-1 को मुख्य प्रशासक हुडा के संज्ञान में लाये बगैर अपने स्तर पर पत्र जारी कर दिया। ऐसा करके हुडा के नियमों की उलघना की है। इसके बाद मुकेश कुमार सोलंकी

**I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)**

तत्कालीन सम्पदा अधिकारी ई0ओ0-1 गुरूग्राम सैक्टर-14 ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 739 दिनांक 22.06.2018 को एस0सी0ओ0 नं0 30 व पत्र क्रामांक 740 दिनांक 22.06.2018 एस0सी0ओ0 नं0 8 सैक्टर 23/23ए गुरूग्राम के सम्बंध में मैसर्स आर0आर0 फाउन्डेशन को अलाटमैन्ट लैटर जारी कर दिया गया। जबकि नियमानुसार श्री मुकेश कुमार सोलंकी सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम द्वारा एस0सी0ओ0 नम्बर 8 व 30 को फर्म के नाम री-अलाँटमैन्ट करने से पहले अपने द्वारा तैयार किये गये सभी तथ्यो का अनुमोदन अपने उच्चाधिकारी प्रशासक हुडा गुरूग्राम एंव मुख्य प्रशासक हुडा पंचकुला से अनुमति प्राप्त करनी चाहिये थी। परन्तु उक्त अधिकारी ने नियमों के विरूद्व अपने पद का दुरूपयोग करके उपरोक्त दोनों एस0सी0ओ 21 वर्ष बाद वर्ष 1997 के भाव या कीमत पर आवन्टित करके फर्म को अनुचित आर्थिक लाभ पहुचाते हुए व सरकार को हानि पहुचाते हुये फर्म के नाम दोनो एस0सी0ओ0 नम्बर 8 और 30 के अलॉटमैन्ट लैटर जारी कर दिये। जबकि इस मामले में प्रतिवादी श्री मुकेश कुमार सोलंकी सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम द्वारा उपरोक्त दोनो एस0सी0ओ0 साईटो को हुडा विभाग के तत्कालीन सम्पदा अधिकारी द्वारा सन 1998 में रदद की गई थी व तत्कालीन प्रशासक हुडा विभाग द्वारा रिजयुम किये गये थे इस बारे सम्पदा अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार करते हुये इन तथ्यो का हवाला देकर अपनी टिप्पणी देनी चाहिये थी। परन्तु उक्त अधिकारीयो द्वारा ऐसा नही किया गया। इसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय में चल रही दोनो CWP में दिनांक 26.07.2018 को याचिकाकर्ता ने बतलाया कि जिस बात के लिये याचिका दायर की गई थी, वह काम हमारा यानि की SCO No 8 व 30 का री-अलाटमैन्ट लेटर हुडा विभाग द्वारा जारी किया जा चुका है। इसलिये याचिकाकर्ता दोनो याचिका वापिस ले ली गई। जिस के आधार पर मुख्य प्रशासक हुडा कार्यालय पंचकुला को प्रतिवादी श्री मुकेश कुमार सोलंकी द्वारा एस0सी0ओ0 न0 8, 30 व 13 सैक्टर23/23ए गुरूग्राम की अलाँटमैन्ट बारे जानकारी प्राप्त हुई। प्रतिवादी श्री मुकेश कुमार सोलंकी द्वारा उपरोक्त दोनो एस0सी0ओ0 साईट की अलाँटमैंट लैटर जारी करने में नियमों की अवहेलना करके अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अलाँटी फर्म के साथ मिली भगत करके अलाटमैन्ट लैटर जारी किये गये है। प्रशासक हुडा गुरूग्राम के द्वारा इस बारे मुख्य प्रशासक हुडा को प्रतिवादी श्री मुकेश कुमार सोलंकी के विरूद् अनुसांशानात्मक कार्यवाही करने के लिये सिफारिश की गई। इसके बाद प्रतिवादी को जब पता चला कि उसके द्वारा गलत तरीके से अलाँटमेन्ट जारी किये जाने पर इस बारे उसके खिलाफ उच्चाधिकारीयो द्वारा कार्यवाही की जायेगी। इसके पश्चात प्रतिवादी श्री मुकेश सोलंकी अपने कार्यालय में दो दिन नही आने के कारण सम्पदा अधिकारी-1, गुरूग्राम का अतिरिक्त चार्ज श्री भारत भूषण गोगीया सम्पदा अधिकारी-2 गुरूग्राम को दिया गया। श्री भारत भूषण गोगीया द्वारा SCO No 30 सैक्टर 23/23ए के पुनः आवंटन आदेश को पत्र क्रमांक 349 दिनांक 30.08.2018 के अनुसार रदद किया गया, तथा SCO No 8 सैक्टर 23/23ए के पुनः आवंटन आदेश को पत्र क्रमांक 350 दिनांक 30.08.2018 के अनुसार रदद किया गया। जिस बारे फर्म को अलग से पत्र जारी करके सुचित किया गया और जमा राशी वापिस करने के आदेश किये गये। श्री मुकेश कुमार सोलंकी सम्पदा अधिकारी-1, गुरूग्राम द्वारा बिना किसी अर्थोटी के पार्टियो से साज-बाज होकर सरकार को हानि पहुचाकर अमानत में ख्यानत करके SCO No 8,30 13 सैक्टर 23/23ए गुरूग्राम री-अलाँटमैन्ट पत्र जारी करके री-अलाँटमैन्ट पत्र में कालॅम न0 27 अपने बचाव में अपनी तरफ से तैयार किया गया है। श्री मुकेश कुमार सोलंकी सम्पदा अधिकारी-1, गुरूग्राम, श्री सज्जन सिह, तत्कालीन अनुभाग अधिकारी, श्री सुभाष चन्द उप अधीक्षक, श्री संजय कुमार लिपिक/रिकार्ड कीपर ने उपरोक्त फर्म के मालिकों/जी0पी0ए0 होल्डर वी0के0 गोयल व अमित कुमार से मिलीभगत करके उपरोक्त एस0सी0ओ0 के बारे में सभी अधिकारियो/न्यायालयों से अपील आदि खारीज होने के बावजूद, बिना सक्षम अधिकारी के आदेशो/अनुमति के, बिना तथ्यो की तसदीक की/उच्च अधिकाररियो को तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट भेजे बिना, 21 वर्ष बाद वर्ष 1997 के कीमत पर उपरोक्त तीनों एस0सी0ओ0 पुनः आवंटित करके फर्म को अनुचित लाभ व हुडा विभाग को वितीय हानि पहुचाई गई। श्री रामस्वरूप वर्मा भा0पु0से0, प्रशासक हुडा पंचकुला के विरूद् विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त श्री मुकेश कुमार सोलंकी सम्पदा अधिकारी-1, श्री भारत भूषण तनेजा अधीक्षक कार्यालय मुख्य प्रशासक हुडा पंचकुला, श्री सज्जन सिह, तत्कालीन अनुभाग अधिकारी, श्री सुभाष चन्द उप अधीक्षक, श्री संजय कुमार लिपिक रिकार्ड कीपर, उपरोक्त फर्म के मालिकों रिषिराज, जी0पी0ए0 होल्डर वी0के0 गोयल के विरूद्व धारा 409,418,420,467,468,120बी भा0द0स0 व 7(C)पी0सी0 एक्ट के अधीन अभियोग अंकित करने की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी/अधिकारी की संलिप्ता पाई जावे तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया है। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चैकसी विभाग के यादि क्रमांक 58/52/2019-1 चौ (1) दिनांक 10.11.2022 व श्रीमान महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो पंचकूला के पृष्ट क्रमांक 17906/गुप्त शाखा/रा0चै0ब्यूरो (ह0) दिनांक 11.11.2022, के अनुसार श्री मुकेश कुमार सोंलकी सम्पदा अधिकारी ई0ओ-1, सैक्टर-14 गुरूग्राम, श्री सज्जन सिह अनुभाग अधिकारी गुरूग्राम, श्री सुभाष चन्द हुडा विभाग सहायक अधीक्षक, गुरूग्राम, श्री संजय कुमार हुडा विभाग रिकार्ड कीपर गुरूग्राम, श्री वी0के0 गोयल पुत्र श्री आर0सी0 गोयल निवासी सी0बी-एच0 नारायणा नई दिल्ली, श्री रिषिराज निदेशक मैसर्स आर0आर0 फाउण्डेशन इन्जिनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के खिलाफ धारा 409,418,420,467,468,120बी भा0द0स0 व धारा 7सी पी0सी0 एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करने के आदेश दिये गये है इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5735 दिनांक 24.11.2022 के अनुसार पुलिस महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला को तहरीर अनुमोदन हेतू ई-मेल के माध्यम से भेजी गई थी जिस पर महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के कार्यालय क्रमांक 18586/गुप्त/रा0चौ0ब्यूरो0(ह0) दिनांक 24.11.2022 के अनुसार ई-मेल के माध्यम से तहरीर अनुमोदित होकर प्राप्त हुई है। जिसमें निर्देश दिये कि सम्पदा अधिकारी-1 गुरूग्राम ने कार्यालय पत्र क्रमांक 739 दिनांक 22.06.2018 के अनुसार SCN N0 30 व पत्र क्रमांक 740 के अनुसार SCN N0 8 Sec 23/23A गुरूग्राम में पुनः अलाँट किये उस समय भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(1)(c) व13(1)(D) r/w 13(2) पी0सी एक्ट लागू थी । श्री मुकेश कुमार सोलंकी सम्पदा अधिकारी-1, श्री सज्जन सिह, तत्कालीन अनुभाग अधिकारी, श्री सुभाष चन्द उप अधीक्षक, श्री संजय कुमार लिपिक रिकार्ड कीपर, उपरोक्त फर्म के मालिकों रिषिराज, जी0 पी0 ए0 होल्डर वी0 के0 गोयल ने धारा 409, 418, 420, 467, 468, 120बी भा0द0स0 व 13(1)(C),व13(1)(d)r/w13(2)पी0सी0 एक्ट का अपराध किया जाना पाया गया है। उपरोक्त आरोपीयान के खिलाफ उपरोक्त धाराओ के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिये लेख तैयार करके मुख्य सिपाही राजीव न0 2771/गुरूग्राम के माध्यम से भेजी जा रही है। अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सुचित किया जावे। PANKHURI ADD.SP, SVB, GGM , 28/11/22 TIME:- 10:00 AM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो FIR की प्रतिया बजरिया डाक ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश ASP पंखुरी रा0 चौ0 ब्यूरो गुरुग्राम के पास भेजी जावेगी । आरिन्दा मु0 सि0 राजीव कुमार न0 2771/गुरुग्राम के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है ।

**I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)**

**13.** **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
**(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

**(1)** **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or ( या)**

**(2)** **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** PANKHURI KUMAR **Rank (पद):** ACP (Assistant Commissioner of Police)

**No. (सं.):** HPS **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

**(3)** **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

**(4)** **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).**

**F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)**

**R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

**Name (नाम):** KULDEEP SINGH

**Rank (पद):** SP (Superintendent of Police)

**No. (सं.):** IPS

**14.** **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

**15.** **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):**

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )**

**(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))**

| S. No. (क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height (cms) (कद (से.मी.)) | Complexion (रंग) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 01/01/1978 | | | | **Is pox pitted:** Yes |
| 2 | Male | 01/01/1979 | | | | **Is pox pitted:** Yes |
| 3 | Male | 01/01/1978 | | | | **Is pox pitted:** Yes |
| 4 | Male | 01/01/1981 | | | | **Is pox pitted:** Yes |
| 5 | Male | 01/01/1976 | | | | **Is pox pitted:** Yes |
| 6 | Male | 01/01/1979 | | | | **Is pox pitted:** Yes |

**I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)**

| **Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)** | **Teeth (दाँत)** | **Hair (बाल)** | **Eye (आँखें)** | **Habit(s)(आदतें)** | **Dress Habit (s) (पहनावा)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **Language/Dialect (भाषा/बोली)** | **Place of (का स्थान)** | | | | | **Others (अन्य)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Burn Mark (जले हुए का निशान)** | **Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))** | **Mole (मस्सा)** | **Scar (घाव)** | **Tattoo (गूदे हुए का)** | |
| **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.**
**(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)**